**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं0 17 बरेली।**

सिविल मिस. नं.422/2018
सी.एन.आर.नं. UPBR01 - 003299-2018
अनवार खां बनाम आसमा बी।

**28.01.2020**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सिविल प्रकीर्ण वाद प्रार्थी द्वारा न्यायालय जे.एस.सी.सी. बरेली द्वारा एस.सी.सूट नं. 43/2006 आसमा बी बनाम अनवार खां में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 14.12.2017 के विरूद्ध धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत मामलें में प्रार्थी विगत कई महीनों से उपस्थित नहीं आ रहा है, न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है न ही पैरवी की जा रही है। दिनांक 25.09.2019 को उभयप्रकार से पैरवी करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश का अनुपालन प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मामलें में प्रार्थी की कोई रूचि नहीं रह गयी है। ऐसी दशा में मामलें के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों के दृष्टिगत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सियाराम चौरसिया)
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं0 17,
बरेली।